






न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
113/23	53,188 RTA	नुरपुरा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
भुरालाल	बनाम	कल्याण सिंह	
वकील :-	भगवान बलरिया	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		
30-11-23	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.1.2024 को पेश हो।		
18-1-24	आज पीतारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 14.3.24 को पेश हो। <div style="text-align: center;">  सिंडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा), </div>		
27-2-24	आज पीतारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 3.4.24 को पेश हो। <div style="text-align: center;">  सिंडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा), </div>		
3-4-24	आज पीतारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28.5.24 को पेश हो। <div style="text-align: center;">  सिंडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा), </div>		
22.5.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वाली उपर। प्रतिवादीगण के वाड ताकिल सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी क्रम 1, 2 को नोट सूचना के न्यायालय के उपर नहीं। उनके विरुद्ध एक्टवेलिया कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वाले साक्ष्यवादी दिनांक 3.7.24 को पेश हो। <div style="text-align: center;">  </div>		
3.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वाली उपर। साक्ष्यवादी उपर नहीं सम्मन चाहेते हैं। पत्रावली वाले साक्ष्यवादी दिनांक 28.8.24 को पेश हो। <div style="text-align: center;">  </div>		

